न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32/2020 (2020/00097) — दर्ज दिनांक 17.03.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. श्रीमती सोसर पत्नि अभयसिंह राव निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमती देउ बेवा बंशीलाल नायक निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती बदामी बेवा जस्सा नायक निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. रोशनलाल पिता बंशीलाल नायक निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. शांतिलाल पिता जस्सा नायक निवासी नांदशा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीया:– श्री हेमेन्द्र सुवालका

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय दिनांक:–07.09.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 489 रकबा 0.21 हे0 किस्म बीड़, आराजी संख्या 490 रकबा 0.34 हे0 किस्म बारानी III कुल किता 02 कुल रकबा 0.55 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 861 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये [illegible]आ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कि[illegible] सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। [illegible] 4 बावजूद [illegible] के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये [illegible]। प्रार्थना पत्र पर प्र[illegible] के अधिवक्ता को सुना गया।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:03 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर वकील

Scanned with CamScanner

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नांदशा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 489 रकबा 0.21 हे0 किस्म बीड़, आराजी संख्या 490 रकबा 0.34 हे0 किस्म बारानी III कुल किता 02 कुल रकबा 0.55 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 861 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर भीलवाड़ा

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner